



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(CIN : U32201UP1999SGC024928)

संख्या-1904-गोपन-06/पाकालि/18-13-सा०गो०/11

दिनांक: 23, जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4310-गोपन-06/पाकालि/11 दिनांक 29 अगस्त, 2011 में निहित व्यवस्था जो स्तम्भ-1 में प्राविधानित है, को स्तम्भ-2 के अनुसार संशोधित करते हुए एतद्वारा निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :-

पूर्व निहित व्यवस्था (स्तम्भ-1)	संशोधित व्यवस्था (स्तम्भ-2)
सेवानिवृत्त/पद त्यागने के पश्चात पुनः किसी पद पर नियुक्त किये गये अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं में अपना मूल्यांकन कदापि न करें, अन्यथा की स्थिति में इस प्रकार किये गये मूल्यांकन मान्य नहीं होंगे।	(1) ऐसे मामलों में जहाँ प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० अथवा सहयोगी विद्युत वितरण निगमों की सेवा में कार्यरत हैं अथवा प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने के पश्चात भारत सरकार अथवा राज्य सरकार में कार्यरत हैं, तो वह अपने पद से स्थानान्तरित होने के उपरान्त भी वार्षिक गोपनीय आख्या में अपना मूल्यांकन/अभिमत अंकित कर सकेंगे। (2) प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी के सेवानिवृत्त होने की स्थिति में, सेवानिवृत्त की तिथि के उपरान्त एक माह की अवधि में अपना अभिमत/मूल्यांकन, वार्षिक गोपनीय आख्याओं में अंकित कर सकेंगे।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

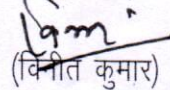
अध्यक्ष

संख्या-1904-गोपन-06/पाकालि/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा।
- (2) प्रबन्ध निदेशक, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी, केस्को, कानपुर।
- (3) निजी सचिव सम्बद्ध अध्यक्ष, उपपाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (4) निजी सचिव सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (5) निजी सचिव सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (6) समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र०पाकालि, उ०प्र०ट्राकालि।
- (7) अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ।
- (8) कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अधिकारी।
- ✓(9) अधिशासी अभियन्ता (बेव) शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,


(विनीत कुमार)

अपर सचिव (द्वितीय)